बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 146378 पटना, दिनांक 24/04/2013

ग्रा0वि0- 5/सा0आ0जन0(वी0.सी0)-103-12/2012

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना- 2011 के अन्तर्गत सर्वेक्षित परिवारों/उत्तरदाताओं से सामाजिक आर्थिक आकड़ों के सार्वजनिक नहीं किये जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त करने के संबंध में ।

प्रसंग:- मुख्य आर्थिक सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 Q-16015/04/2011-AI(RD), दिनांक-09.05.12 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अर्द्ध सरकारी पत्र (प्रति संलग्न) के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत सर्वेक्षित परिवारों के सामाजिक आर्थिक आकड़ों को सार्वजनिक नहीं किये जाने के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस देते हुऐ, उत्तरदताओं से लिखित आवेदन प्राप्त किया जाना है । विज्ञापन में दिये जाने वाले मॉडल नोटिस एवं आवेदन प्रारूप संलग्न है ।

अत: अनुरोध है कि प्रासंगिक अर्द्ध सरकारी पत्र में उल्लेखित मार्गदर्शन के आलोक में SECC-2011 के सर्वेक्षित परिवारों से सामाजिक आर्थिक आकड़ों के सार्वजनिक नहीं किये जाने संबंधी लिखित आवेदन प्राप्त करने की कारवाई शीध्र सम्पन्न कराने की कृपा की जाय ।

अनुलगनक यथोक्त ।

विश्वासभाजन

24/4/13

(संजय कृष्ण)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 146373 दिनांक 24/04/2013

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, को सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/4/13

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 146378 दिनांक 24/04/2013

प्रतिलिपि:- श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनिकी निदेशक, NIC पटना/श्री एम.एस.मूर्ति, ECIL, राज्य समन्वयक, SECC पटना/ संयुक्त निदेशक, जनगणना निदेशालय, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

24/4/13

विशेष कार्य पदाधिकारी

पार्थप्रतिम मित्रा
PARTHAPRATIM MITRA
Tel : 2307 3776
Fax : 2338 5873
Res. : 0129-2311486
E-mail : ppmitra@nic.in

सत्यमेव जयते

मुख्य आर्थिक सलाहकार
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
CHIEF ECONOMIC ADVISER
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPTT. OF RURAL DEVELOPMENT
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI-110001

अ.शा. पत्र सं.- क्यू-16015/04/2011-एआई(आरडी)

दिनांक : 09/05/2012

प्रिय महोदय,

प्रकाशित किए जाने के लिए सूची का मसौदा तैयार करना सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी-2011) का अभिन्न भाग है और यह पता चला है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अनिवार्य चरण के निष्पादन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जनगणना के दौरान एकत्र किए गए परिवारों के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ स्थानों में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं का यह कहना कि वे यह नहीं चाहते कि उनके सामाजिक आर्थिक आँकड़े सार्वजनिक किए जाएं। विशेष रूप से निचले सामाजिक-आर्थिक तबकों में यह अनुपात अधिक देखा गया है।

मंत्रालय में इस विषय की जांच की और यह महसूस किया गया है कि ऐसा मोटे-तौर पर गलत ढंग से संदेश दिए जाने/ गलत जानकारी दिए जाने की वजह से है। चूंकि इस बात की संभावना है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों में इन आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा और यदि गलत संदेश/गलत जानकारी की वजह से ग्रामीण गरीब विकास की प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं तो पूरी प्रक्रिया ही निष्फल हो जाएगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सूची का मसौदा प्रकाशित करने से पहले स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए नोटिस देकर परिवारों/उत्तरदाताओं से लिखित में यह अनुरोध मंगाएंगे कि वे सूची के मसौदे के प्रकाशन के समय अपने आँकड़ों को सार्वजनिक करना चाहते हैं या नहीं। । ये लिखित अनुरोध 15 दिन के भीतर पदनामित प्रभारी अधिकारियों को प्रस्तुत करने होंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वस्तुतः गलत सूचना/गलत जानकारी की वजह से ही वे अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सके थे और सूची के मसौदे में उनके आँकड़ों को सार्वजनिक किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विज्ञापन में दिए जाने वाले इस मॉडल नोटिस और आवेदन का प्रारूप संलग्न है। अनुरोध है कि इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करके परिवारों को अपने लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की समय-सीमा दी जाए और इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए मीडिया, स्थानीय प्रशासनिक एवं पारंपरिक माध्यमों के जरिए प्रचार के अन्य सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(पीपी मित्रा)

संलग्नक : यथोपरि

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण विकास/पीआर विभाग

Issued by Speed Post
10.5.XII

भारत सरकार
का प्रतीक चिह्न

राज्य सरकार
का प्रतीक चिह्न

सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी), 2011

नोटिस

यह सभी परिवारों के ध्यान में लाया जाता है कि जब तक वे नीचे दिए गए फार्मेट में लिखित में यह अनुरोध नहीं करते है कि वे अपने संबंधी आँकड़े को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, **सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना - एसईसीसी 2011** के दौरान प्रगणित किए गए उनके सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 के आँकड़े (जाति एवं धर्म संबंधी आँकड़ों को छोड़कर) को सार्वजनिक किया जाएगा। यदि वे एसईसीसी 2011 के लिए नामित प्रभारी अधिकारी (बीडीओ/तहसीलदार/उप-कलक्टर/ अन्य) को नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में यह अनुरोध नहीं करते हैं कि सूची के मसौदे के प्रकाशन के समय अपने सामाजिक- आर्थिक आँकड़े को सार्वजनिक में नहीं रखना चाहते हैं तो यह माना जाएगा कि सूची के मसौदे के प्रकाशन के समय अपने आँकड़े को सार्वजनिक रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदन का फार्मेट

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (एसईसीसी 2011),
पत्राचार का पता

महोदय/ महोदया,

मैं.....पुत्र श्री, पुत्री श्री, पत्नी श्री.....निवासी ग्राम/शहर,
.....ग्राम पंचायत.....,तहसील.....
जिला,..... सूची के मसौदे के प्रकाशन के समय एसईसीसी 2011 प्रगणन के दौरान एकत्र की गई परिवार संबंधी जानकारी/ आँकड़े को व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ और उसे सार्वजनिक नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा अनुरोध करने के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी है।

(हस्ताक्षर अथवा बाँये अंगूठे का निशान)

नाम :
एसईसीसी 2011 में परिवार पहचान सं.....(अनिवार्य नहीं)
दिनांक :
स्थान :